अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं

मुहम्मद अज़हर मदनी

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि हज़रत मआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ऐ मआज़! तो उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम मैं हाज़िर हूं। फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ऐ मआज़! तो उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम मैं हाज़िर हूं। फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार फरमायाः ऐ मआज़! तो उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम मैं हाज़िर हूं फिर रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सच्चे दिल से इस बात की गवाही देगा कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं तो अल्लाह तआला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देगा। हज़रत मआज़ रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं लोगों को यह न बताऊं ताकि वह भी खुश हो जाएं? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः तब तो वह लोग इसी पर भरोसा कर लेंगे इसके बाद मआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने अपनी मौत के वक़्त यह हदीस लोगों से बयान कर दी ताकि वह गुनाह से बच जायें।

एक इन्सान के लिये इस कलिमे ''लाइलाहा इल्लल्लाहो व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू'' से ज़्यादा कोई महान और बड़ी नेमत नहीं हो सकती। यही वह एकेश्वरवाद है जिनका दिल व जान से इक़रार करने के बाद इन्सान इस्लाम में दाखिल होता है और यही हमारे दीन की असल बुनियाद है और इसी लिये अल्लाह ने अपने नबियों को इस दुनिया में भेजा ताकि लोगों को बन्दों की बन्दगी से निकाल कर अल्लाह की बन्दगी की तरफ बुलाएं। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''हम ने हर उम्मत में रसूल भेजा कि (लोगो!) सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तमाम माबूदों (तागूत) से बचो''। (सूरे नह्ल-३६)

कुरआन में दूसरी जगह अल्लाह तआला ने फरमायाः ''तुम से पहले भी जो रसूल हमने भेजा उसकी तरफ यही वह्य नाज़िल फरमाई कि मेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं पस तुम सब मेरी ही इबादत करो'' (सूरे अंबिया-२५)

इस लिये तौहीद के अर्थ व भाव और इसके तक़ाज़ों को समझना और इसपर पूर्ण रूप से अमल करना हर इन्सान की ज़िम्मेदारी है। उपर्युक्त हदीस में इस कलिमे की बड़ी फज़ीलत बयान की गई है और सच्चे दिल से गवाही देने पर जहन्नम की आग को हराम करार दिया गया है यह खुशखबरी सिर्फ उन्ही लोगों के लिये है जो इस कलिमे का हक़ अदा करते हैं इसके अहकाम पर अमल करते हैं और एकेश्वरवाद (तौहीद) पर काइम रहते हैं। बुखारी शरीफ में है कि क़्यामत के दिन मेरी सिफारिश उस शख्स को नसीब होगी जिसने अपने दिल की अथाह गहराइयों से इख्लास के साथ ''लाइलाहा इल्लल्लाह'' कहा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि जिस शख्स ने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल (पैगम्बर) हैं तो उस पर अल्लाह ने जहन्नम हराम कर दी है। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिस की मौत इस हालत में आती है कि वह अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता है तो वह जहन्नम में जायेगा।

अल्लाह से दुआ है कि वह हम सबको मुवह्हिद बनाये और मुवह्हिदीन के लिये दुनिया व आखिरत में जो खुशखबरी नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सुनाई है हम सबको इस का पात्र बनाये। आमीन

मासिक
इसलाहे समाज
नवंबर 2021 वर्ष 32 अंक 9
रबीउल आख़िर 1443 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

❑ वार्षिक राशि	100 रुपये
❑ प्रति कापी	10 रुपये
❑ टोटल पेज	28

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613
RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1.	अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं	2
2.	हत्या महा पाप है	4
3.	दुआ की स्वीकृति मगर कैसे?	6
4.	जान की सुरक्षा और जीने का अधिकार	10
5.	इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं	11
6.	बेटी को बेहतरीन प्रशिक्षण देना मां...	16
7.	पैग़म्बर बनाए जाने से पहले की ज़िन्दगी	18
8.	अपील	19
9.	प्यारे रसूल स० की प्यारी बातें	20
10.	ऐ बिलादे हरम	21
11.	प्रेस रिलीज़	22
12.	मुफ्त मेडिकल चेकअप	22
13.	डा० अब्दुल अली अज़हरी का निधन	23
14.	अनाथ	24
13.	अपील	27
14.	अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन)	28

ईमेल:-
Jaridahtarjuman@gmail.com
Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com
अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है
वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

हत्या महा पाप है

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी

कुछ लोगों को छोड़ कर पूरी इंसानियत हर युग में दीन धर्म और मिल्लत व मजहब पर ईमान व यकीन रखती है और उसकी पैरवी को दुनिया और महाप्रलय (आखिरत) में कामयाबी, सुकून अम्न व शान्ति, भाईचारा, मुहब्बत आपसी मेलजोल, सौहार्द और हमदर्दी की गारंटी मानती है। इसी लिये इस तरह के लोग अपनी इच्छाओं को दीन के अधीन मान कर दीनी तालीमात (धार्मिक शिक्षाओं) पर अमल करते हैं।

इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि वह अल्लाह की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी गुजारें और उसकी शिक्षाओं की रोशनी में अपने काम करें। रोजाना पेश आने वाली समस्याओं और हालात में ओलमा से कुरआन व हदीस की रोशनी में मसाइल को पूछें और शरीअत की राय मालूम करें मुफ्तियों और इस्लामी मामलों के माहिरीन से सवाल और फतवा के जरिये अपने हालात को सुधारें। इस वक्त मानवता और हमारा देश भारत कई तरह से आतंकवाद की लानत में गिरफ्तार होता जा रहा है जो निःसंदेह मुटठी भर असमाजिक तत्वों और देश दुश्मन शक्तियों की निन्दित हरकत है, यहां की अधिकतर आबादी पूरी दुनिया में विशेष तौर से भारत में इस तरह के किसी भी फसाद बिगाड़ और आतंक को पसंद नहीं करती, लेकिन फसाद उपद्रव और आतंकवाद हर हाल में नासूर है। लेकिन कुछ नादान या साजिशी लोग इसे अपने स्वार्थ या अपने ख्याल में सुधार और बुराई को बदलने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और नौजवानों और अपने जैसे जोशीले नादानों को धरती पर उपद्रव फैलाने में संलिप्त करते हैं यहां तक कि वह अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं जबकि इस्लाम में जहां दूसरों पर अत्याचार करना दूसरों को मारना हराम और महा पाप है वहीं आत्महत्या करना भी बहुत बड़ा अपराध है यह ऐसे लोग हैं जिनकी आखिरत तो बर्बाद ही है, दुनिया भी बर्बाद है लेकिन कितना अफसोस और निन्दनीय है वह इसे अपना कारनामा (उपलब्धि) समझते हैं।

इन ही हालात को सामने रखते हुये मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द ने इस बड़े अपराध के सिलसिले में अपना एक सामूहिक फतवा १८ मार्च २००६ के सेमिनार में जारी किया जिस का शीर्षक ''आतंकवाद वक्त का सबसे बड़ा नासूर ''था, अरब के महान एवं प्रतिष्ठित अहले हदीस ओलमा ने आतंकवाद, बम धमाकों, आत्मघाती हमलों, जहाजों का अपहरण, प्रतिष्ठानों, इमारतों सरकारी और प्राइवेट सम्पदाओं को बर्बाद करने को अपने अनेक फतवों में हराम और महा पाप करार दिया है। इन फतवों और मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द के द्वारा आतंकवाद और दाइश के ख़िलाफ़ सामूहिक फतवों को पुस्तिका के रूप में मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द प्रकाशित कर चुकी है।

जैसा कि कहा गया कि इन

सब ओलमा ने यह फतवा दिया है कि आतंकवाद, बम धमाके आदि इस्लाम और शुद्धबुद्धि की रोशनी में किसी भी तरह जायज नहीं हो सकते बल्कि सरासर हराम नाजायज और जुल्म व ज्यादती है और जमीन में उपद्रव की सजा बुहत सख़्त है।

इस्लाम में एक छोटे से जानवर को भी मारना जायज नहीं है तो दुनिया की सबसे सम्माननीय सृष्टि इंसान को मारना क्यों जायज हो गा? इस्लाम में अम्न व शान्ति को इंसानी समाज के लिये बहुत बुनियादी तत्व और नेमत माना गया है, जिस का कोई किकल्प (बदल) नहीं हो सकता, इसको खराब करने अशान्ति और आतंक में परिवर्तित करना बुरा अपराध है और यह स्पष्ट है कि भय और आतंक की छांव में दुनिया की कोई नेमत, नेमत नहीं कही जा सकती।

यह इस्लाम ही की तालीम है जो कुरआन में बयान किया गया है कि जानी दुश्मन और जिन से लड़ाई जरूरी है अगर वह भी पनाह मांगता है या समझौते के साथ रहता है तो जंग की हालत में उस को पनाह दे कर उसको महफूज (सुरक्षित) स्थान पर पहुंचाना आवश्यक है। जिस इस्लाम ने जंग की हालत में जबकि जालिम ने आपके बीवी बच्चे और बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया हो उसका बच्चा बीवी और कोई भी निर्दोष जो आप से न लड़ रहा हो बदले में कत्ल करने से मना कर दिया है क्योंकि जालिम और कातिल तो उसका बाप है न कि निर्दोष। अगर आप जोश और गुस्से में अपने बच्चों का बदला ले रहे हैं तो गोया आप भी वही जुल्म बेगुनाहों और निर्दोषों पर कर रहे हैं जो आप से लड़ने वाले दुश्मन ने किया है। क्योंकि कि कुर्आन ने इससे मना किया है कि किसी अपराधी के करतूत की सज़ा किसी बेगुनाह और निर्दोष को दिया जाये। कुरआन कहता है। ‘‘कोई किसी का बोझ नहीं उठायेगा’’।

जब इस्लामी तालीमात में इस तरह के हुक्म हैं तो भला निर्दोष नागरिक, जो राह चल रहा है, विद्यालयों में हो, बाज़ार में अपनी जिंदगी की आवश्यकताओं में व्यस्त हों, खुशी और त्यौहार के सामान खरीद रहे हों, उन पर किसी तरह के सामूहिक व्यक्तगत घातक हमले करना और खुशी को डर और शान्ति को आतंक में बदलना क्यों कर जायज हो सकता है।

मतलब यह है कि इस्लाम में इस तरह के बेतुके इंतेकाम को हराम क़रार दिया गया है खुद जालिम से भी इंतेकाम न लेकर मआफ कर देने की तरगीब (प्रेरणा) दी गयी है। कुरआन कहता है ‘‘अगर तुम छमा कर दो तो यह तक़्वा से ज्यादा करीब है’’ कवि भी कहता है।

अर्थः‘‘मआफ करने में जो मज़ा है वह बदला लेने में नहीं है।’’

मर्कज़ी जीमअत अहले हदीस हिन्द द्वारा प्रकाशित आतंकवाद विरोधी फतावे से स्पष्ट है कि दुनिया की सजा बहुत दर्दनाक है मगर महापरलय की सजा जो इंसान की असली जिंदगी है इससे भी ज्यादा भयानक और कड़ी है।

इस्लाम धर्म की शिक्षा यह है कि किसी की जान बचाना, भलाई करना, और परेशान हाल को राहत व सुख पहुंचाना मानवता की असल तरक्क़ी है, इन्सान के लिये यह पुरस्कार दुनिया व आखिरत में तय है। इसके विपरीत अत्याचार, ज्यादती अमानवीय कर्म है ऐसे अमानवीय कामों से बचना चाहिए और हर इन्सान को अम्न व शान्ति का दूत और इन्सानियत का रखवाला बनना चाहिए। यही है इबादत यही दीन व ईमां, कि काम आए दुनिया में इन्सां के इन्साँ

दुआ की स्वीकृति मगर कैसे?

मौलाना खुर्शीद आलम मदनी

सम्माननीय पाठकगण! इन्सान की ज़िन्दगी का एक-एक क्षण अल्लाह की दया व करूणा का मोहताज है अगर उसकी करूणा न हो तो न तो हमारे दिल धड़क सकते हैं और न हमारे शरीर की रगों में खून दौड़ सकते हैं। इसलिये अल्लाह से उसकी करूणा एवं कृपा का सवाल करना उसी के सामने दुआ के लिये हाथ उठाना अपनी झोली फैलाना और अपनी मुरादें मांगना यह इबादत की शान और बन्दगी का तक़ाज़ा है और दुआओं को कुबूल करने वाली हस्ती अल्लाह का हमारी दुआओं को कुबूल कर लेना हमारे लिये सौभाग्य की बात है बहुमूल्य सम्मान है। लेकिन इस सौभाग्य की प्राप्ति के कुछ शिष्टाचार (आदाब) और शर्तें भी हैं, तकाज़े भी और नियम भी। जब हम इन तक़ाज़ों को पूरा करेंगे और दुआ के कुबूल होने की बुनियादी शर्तों को दिल व जान से कुबूल करेंगे तो यकीन जानें हमारी ज़रूरतें, हसरतें और आशाएं शब्दों के सांचे में ढ़ल कर कुबूलियत का रूप ले लेंगी और हमारी तमाम जायज़ मांगें, पवित्र मुतालबात कुबूल हो जाएंगी।

आइये हम उन कारणों को देखें और उन अपेक्षित शर्तों को जानें उन कसौटियों और कराईटेरिया को समझें जो मेरी और आप की दुआओं की स्वीकृति (कुबूलियत) की धुरी और केन्द्र हैं जब तक हम उसे नहीं जानेंगे उस वक़्त तक हमारे संकल्प और योजनाएं पूर्ण नहीं होंगी। दुनिया और आख़िरत की सफलता व कामयाबी पर आधारित हमारी वन्दनाएं नहीं सुनी जाएंगी और हमारे सपने मुंगेरी लाल के सपने बन कर रह जाएंगे।

हमें इस हक़ीक़त का ज्ञान होना चाहिए कि दुआ इबादत का एक भाग है और हमारी हर तरह की इबादत का पात्र केवल अल्लाह ही है। इस लिये दुआ के कुबूल होने की सबसे अहम और ज़रूरी शर्त यह है कि दुआ करने वाला अल्लाह को अपना वास्तविक माबूद (पूज्य) समझते हुए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ करे अर्थात वह अपने दुआओं में इख्लास (निःस्वार्थता) पैदा करे, वह किसी अन्य दर पर अपनी झोली न फैलाए और न किसी सृष्टि के सामने हाथ फैलाए क्योंकि अल्लाह का कोई साझीदार नहीं और उसके अलावा कोई दुआवों को सुनने वाला और कुबूल करने वाला नहीं है। यह बड़ा खतरनाक कर्म है बल्कि मानवता का अपमान है कि इन्सान अल्लाह तआला को छोड़ कर गैरों के दर पर मत्था टेके या अल्लाह के साथ किसी दूसरे को भी साझीदार बना ले। कुरआन इससे मना करता है और अल्लाह के अलावा की मजबूरी और बेबसी को प्रभावी अंदाज़ में बयान करता है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः

''और उस आदमी से बढ़ कर गुमराह कौन हो गा जो अल्लाह के बजाय उन माबूदों को पुकारता है जो क्यामत तक उसकी पुकार को न सुन सकेंगे और वह उनकी फरयाद

व पुकार से बिल्कुल ग़ाफिल हैं'' (सूरे अहक़ाफ़-५)

दुआ के कुबूल होने के लिये इख्लास की शर्त के साथ दूसरी शर्त यह है कि वह दुआ रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार हो। स्पष्ट रहे कि तमाम आमाल के कुबूल होने की दो शर्तें हैं इख्लास और सुन्नत की पैरवी जैसा कि काज़ी फुज़ैल बिन अयाज़ रह० फरमाते हैं ''अगर अमल खालिस है लेकिन वह सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो ऐसा अमल मकबूल नहीं इसी तरह अगर अमल सुन्नत के मुताबिक है लेकिन वह खालिस अल्लाह के लिये नहीं है तो वह भी मकबूल नहीं'' और इसकी ताईद (समर्थन) कुरआन की इस आयत से होती है:

''तो जो शख्स अपने रब से मिलने का यक़ीन रखता है उसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक (साझीदार) न बनाये।'' (सूरे कहफ-११०)

यही वजह है कि तमाम इबादतों की तरह दुआ और अज़कार की तमाम तफसीलात अहादीस में मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि सुबह, शाम में, नमाज़ों में नमाज़ों के बाद, मस्जिद में दाखिल होने और मिलने, सोने और जागने, खाने से पहले और बाद में, सवारी पर सवार होते वक़्त, किसी प्रिय और अप्रिय चीज़ को देखने, मुसीबत के वक़्त और विभिन्न औक़ात में कौन सी दुआ करनी चाहिए। यही वजह है कि हमारे असलाफ (पूर्वजों) ने दुआ और अज़कार पर आधारित किताबें लिखी हैं जैसे इमाम अबुल कासिम तबरानी रह० ने ''अद दुआ'' इमाम नव्वी रह० ने ''अज़कार'' इमाम इब्ने तैमिया रह० ने ''अल कलिमुत तैइब'' और इब्नुल कैइम रह० ''अल वाबिलुस सैइब'' लिखी हैं।

इस लिये मुसलमानों को चाहिए कि वह नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की बताई गई दुआओं को पढ़ें और खुद से बनाई गई दुआओं से परहेज़ करें।

दुआओं के सिलसिले में सुन्नत के अनुसार दुआ मांगने की कितनी अहमियत है इसका अन्दाज़ा नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के इस अन्दाज़ व अमल से लगायें।

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को यह दुआ इस तरह सिखाते थे जिस तरह उन्हें कुरआन सिखाते थे कि ऐ अल्लाह मैं नरक के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूं और कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूं। मसीह दज्जाल से तेरी पनाह मांगता हूं और ज़िन्दगी व मौत के फितनों से तेरी पनाह मांगता हूं'' (सहीह मुस्लिम ५९०)

इसी तरह अब्दुल्लाह बिन जाबिर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हम लोगों को इस्तेखारा की दुआ इस तरह सिखाते थे जिस तरह हमें कुरआन की सूरत सिखाया करते थे'' (सहीह बुखारी ६३८२)

इस जमाने में ऐसे लोग भी पाये जाते हैं कि जब उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होतीं तो वह दुआ ही

मांगना छोड़ देते हैं बल्कि वह अल्लाह का शिकवा गिला भी शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि दुआ के कुबूल होने की कुछ शर्तें भी हैं जब वह शर्तें पूरी होंगी तो आप की मुराद पूरी होगी और आप की दुआ भी कुबूल की जाएगी इनमें अहमतरीन शर्त हलाल खाना है यह ऐसा पैमाना (कसौटी) है जिस पर बड़े-बड़े पूरे नहीं उतरेंगे।

याद रखें! शरीअत की निगाह में किसी शख्स का कोई नेक अमल उस वक़्त तक कुबूल नहीं होगा जब तक कि वह हराम कमाई और हराम खोरी से पूर्ण रूप से परहेज़ न करे और दुआ भी चूंकि एक नेक काम है इस लिये यह भी उसी सूरत में कुबूल होगी जब दुआ करने वाला हराम काम से परहेज़ करे और हलाल खाने-पीने का एहतमाम करे। हमें दुआ करने से पहले इस कड़ी शर्त को भी दृष्टिगत रखना चाहिए और अपनी कमाई, खाने पीने की पवित्रता का जायज़ा लेना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (पैगम्बर) मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि "लोगो! अल्लाह पवित्र है और पवित्र ही कुबूल करता है।" और अल्लाह तआला ने मोमिनीन को भी वही हुक्म दिया है जो रसूलों को दिया। अल्लाह ने पवित्र कुरआन में फरमायाः

"ऐ रसूलो! पवित्र चीज़ों में से खाओ और नेक अमल करो। बेशक तुम जो अमल करते हो मैं उसे जानता हूं" (सूरे मोमिनून) और मुसलमानों को भी आदेश देते हुए फरमायाः "ऐ ईमान वालो! जो पाकीज़ा (पवित्र) चीज़ें तुम्हें दी गई हैं उनमें से खाओ" (सूरे बक़रा-१७२)

फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का उल्लेख किया कि एक आदमी लम्बा सफर करता है उसकी हालत यह है कि उसके बाल बिखरे हुए हैं चेहरा खाक आलूद (धूल धूम्रित) है और वह (अल्लाह के घर में) पहुंच कर हाथ फैला कर कहता है या रब, या रब जबकि उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है उसका पहनावा हराम है और हराम से उसका पोषण दुआ तो फिर अल्लाह तआला उसकी दुआ कैसे कुबूल करे। (सहीह मुस्लिम १०१५)

इस हदीस में दुआ के कुबूल होने के चार कारण बताये गये हैं।

सफर लम्बा हो तो मुसाफिर की दुआ कुबूल होती है।

दुआ करने वाला विनम्र हो।

दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाये हो।

विनम्रता और गिड़गिड़ाहट के साथ अल्लाह की रूबूबियत का जिक्र करते हुए या रब या रब कहे।

हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की दुआएं कुबूल होती थीं। जब उनसे पूछा गया कि आप की दुआएं क्यों कुबूल होती हैं? तो उन्होंने अपने हलाल खाने की तरफ इशारा करते हुए कहाः मैं जब भी कोई लुक्मा अपने मुंह में डालता हूं तो मैं यह जानता हूं कि यह लुक़्मा मैंने कहां से हासिल किया है" (इब्ने रजब फी जामिउल उलूम वल हिकम्)

अल्लामा इब्ने कैइम रह० कहते हैं "हराम खाने से दुआ की शक्ति खतम हो जाती है और दुआ में कमज़ोरी आ जाती है।" आज हम बहुत परेशान हैं, जीवन की वास्तविक खुशियों से वंचित हो रहे हैं। हमारे

जाहिरी संसाधन असफल हो रहे हैं आध्यात्मिक और शारीरिक रोग में लिप्त हैं और सारे सांसारिक सहारे टूट रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तंहाई, बेबसी और असहाय के एहसास में लिप्त हैं। कल क्या होगा भविष्य की आशंका ने हममें विछुब्ध ा कर दिया है लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार की आशंकाओं में लिप्त नहीं होना है एक शक्तिवाली हस्ती है एक मज़बूत सहारा अब भी मौजूद है और एक दर्वाज़ा अब भी खुला है जहां हम अपने दुख सुख और कठिनाइयों की दास्तान बयान कर सकते हैं और दिल के ज़ख़्मों की हर टीस को साझा कर सकते हैं।

इन ही गम की घटाओं से खुश्नुमा का चांद निकलेगा

अन्धेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी है

इसलिये जब समस्याओं के दलदल में हचकोले खाने लगें, आफतों के बादल गरजने लगें, मुसीबतों की बिजलियां चमकने लगें तो अल्लाह सर्वशक्तिमान की तरफ पलटें उस से माफी मांगें और मुक्ति व निजात की भीख मांगें वह हमारी दुआओं को सुनेगा और प्राबल्म को हल करे गा। क्या उसने यह वादा नहीं किया है "और ऐ नबी! अगर आप से मेरे बन्दे मेरे बारे में पूछें तो आप कह दीजिए कि मैं क़रीब हूं। पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब वह मुझे पुकारता है" और एकेश्वरवाद की आस्था से सुसज्जित हो कर अपने रब का पूर्ण रूप से आज्ञापालक बन कर, विनम्रता के साथ पुकार कर, उसकी दया करूणा की शान देखिए वह हमारी फरयाद व पुकार को सुनने और हमारी ज़रूरत पूरी करने हर रात आसमाने दुनिया पर नाज़िल होता है। सहीह बुखारी की रिवायत में है हमारा रब हर रात आसमाने दुनिया की तरफ उतरता है उस वक़्त जब रात का आख़िरी हिस्सा बाक़ी रह जाता है और फरमाता है कौन है जो मुझ से दुआ करे ताकि मैं उसकी दुआ कुबूल करूं। कौन है जो मुझ से मांगे ताकि मैं उसे दूं कौन है जो मुझ से बख्शिश (मआफी, छमायाचना) मांगे ताकि मैं उसे मआफ कर दूंगा।

कोई चारा नहीं दुआ के सिवा
कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा

(हफीज़ जालनधरी)

इस्लाहे समाज
खरीदारी फार्म

पत्रिका को घर पर मंगवाने के लिये अपने पते में निम्न विवरण ज़रूर लिखें।

नाम.......................
पिता का नाम..............
स्थान.......................
पोस्ट आफिस..............
वाया.......................
तहसील.....................
जिला.......................
पिन कोड.................
राज्य का नाम.............
मोबाइन नम्बर.............

अपना मनी आर्डर इस पते पर भेजें।

आफिस का पताः**अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6**

बैंक और एकाउन्ट का नामः
Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind
A/c No. 629201058685 (ICICI Bank) Chani Chowk, Delhi-6
RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292

नोटः-बैंक द्वारा रक़म भेजने से पहले आफिस को सूचित करें।

जान की सुरक्षा और जीने का अधिकार

मौलाना अज़ीज़ अहमद मदनी

मानव अधिकार में से एक अधिकार जान की सुरक्षा और जीने का अधिकार भी है। इन्सान की ज़िन्दगी बहुमूल्य और पवित्र है। इन्सान आज़ादाना माहौल में शान्तिपूर्ण सुखद और सुगम जीवन गुज़ारने का अधिकार रखता है इस्लाम ने इसे यह अधिकार संपूर्ण रूप से दिया है अतः किसी का अधिकार हनन करना, अत्याचार करना, किसी को नाहक़ मारना ऐसे मामलात हैं जो इस्लाम की आत्मा के विपरीत हैं, इस्लाम इसकी कदापि इजाज़त नहीं देता। इस्लाम नाहक कत्ल को पूरी मानवता की हत्या के समान करार देता है। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः जो कोई किसी जान के बदले या बिना मुल्क में फसाद करने (की सज़ा) के मारता है वह गोया तमाम लोगों को कत्ल करता है और जिसने किसी नफ्स (प्राण) को जीवित रखा तो उसने गोया सब लोगों को ज़िन्दा रखा।'' (सूरे माइदा-३२)

इसी तरह समाज में फसाद और अशान्ति फैलाना, किसी के निजी जीवन में अकारण हस्तक्षेप और किसी के टोह में पड़ना आदि इस्लाम ऐसी बुरी आदतों और हरकतों को पसन्द नहीं करता बल्कि शान्तिपूर्ण वातावरण स्थापित करने, नैतिकता से भरपूर प्यार व मुहब्बत और भाई चारे की ज़िन्दगी गुज़ारने की शिक्षा देता है। अल्लाह के रसूल (पैगम्बर) मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''मुसलमान मुसलमान का भाई है न वह अपने भाई पर जुल्म करता है, न अपमानित करता है और न उसको कमतर समझता है किसी व्यक्ति के बुरे होने के लिये यही काफी है कि वह अपने भाई को कमतर समझे, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर उसका खून, उसका माल और उसकी इज़्ज़त हराम है।'' (सहीह मुस्लिम २५६४)

प्राण की सुरक्षा में एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम दोनों बराबर हैं दोनों के जान की समान सुरक्षा और सम्मान किया जाएगा। अल्लाह के रसलू (पैगम्बर) सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''जो किसी मुआहिद को कत्ल करेगा वह जन्नत की खुश्बू नहीं पायेगा जबकि जन्नत की खुश्बू चालीस साल की दूरी से भी महसूस होती है।'' (सहीह बुखारी-६९१४)

खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने अपनी वसिय्यत में फरमायाः ''मैं अपने बाद होने वाले खलीफा को अल्लाह और उसके रसूल के वचन की वसिय्यत करता हूं कि जिम्मियों से किये गये वचन को निभाया जाए, उनकी रक्षा की जाए और उनपर ताकत से ज़्यादा बोझ न डाला जाए (हज़रत उमर रज़ियल्लाहो अन्हो के सियासी नज़रिये पृष्ठ-९३)

सारांश यह है कि इस्लामी शरीअत अपने सिद्धांतों के ज़रिये विश्व शान्ति के सन्देश के साथ जान व माल और सम्मान व सतीत्व की सुरक्षा की जमानत देती है किसी भी वजह से आत्म हत्या, भ्रूण हत्या या नाहक कत्ल को हराम क़रार देती है और पूरी सृष्टि चाहे इन्सान हो या जानवर दया व करूणा की भावना को विकसित करती है। कुरआन में हैः ''और अपनी औलाद को भूख के डर से कत्ल न करो, हम ही तो तुम को और उनको भी रोज़ी देते हैं'' (सूरे अन्आम-१५१)

इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं

मौलाना असअद आज़मी

इस्लाम अल्लाह की तरफ से अवतरित वह धर्म है जो रहती दुनिया तक सृष्टि का मार्गदर्शन करता रहेगा। साढ़े चौदह सौ साल से यह दीन बराबर फल फूल रहा है और इस के मानने वालों की तादाद में दिन बदिन बढ़ोतरी ही होती रही है। आज दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां इसके नाम लेने वाले मौजूद न हों। तादाद के एतबार से देखा जाए तो ईसाइयत के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी धर्म के मानने वाले इस दुनिया में है तो वह धर्म इस्लाम ही है।

अल्लाह तआला ने अपने अंतिम सन्देष्टा जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को यह दीन देकर भेजा तो आप ने अकेले इसके प्रचार व प्रसार का काम शुरू किया। मक्का की १३ वीर्षीय ज़िन्दगी में प्रचार की राह में बड़ीं रूकावटें आईं, तक्लीफें उठानी पड़ीं लेकिन इस्लाम के मानने वालों की तादाद में थोड़ा-थोड़ा ही सही मगर इज़ाफा होता रहा। मदनी दौर में इसमें इच्छानुसार तेज़ी आई और पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रूखसत होने के समय एक लाख से अधिक लोग इस्लाम की छत्रक्षाया में पनाह ले चुके थे।

एकेश्वरवाद, ईश्दौत्य, परलय और अन्य बुनियादी आस्थाओं को लोगों के दिल व दिमाग में उतारने के लिये कुरआन में विभिन्न अन्दाज में अकली व तार्किक दलीलें पेश की गईं हैं। दिलों को अपील करने वाले अकली और कुरआन व हदीस की दलीलों से संतुष्ट होकर लोग लगातार इस्लाम में दाख़िल होते गये। शहरों, देहातों और मुलकों से निकल कर इस्लाम की रोशनी देखते-देखते विभिन्न महाद्वीपों तक फैल गई। इस तेज़ रफतारी के साथ इस्लाम के प्रसार के पीछे जहां उसकी हक्कानियत (सत्यता) उसकी ख़ूबियां और उसकी श्रेष्ठता थी वहीं इस्लाम के मानने वालों का व्यवहारिक जीवन, उनके उच्च आचरण की सफाई, मामलात में पवित्रता वगैरा का बड़ा दखल था।

इस्लाम के प्रसार के सिलसिले में पराचीन काल से लेकर अब तक बाज लोग एक गलतफहमी का शिकार रहते हैं या जानबूझ कर ऐसा प्रोपैगण्डा करते हैं। वह यह कि इस्लाम में दाखिल करने के लिये मुसलमान जोर जबरदस्ती से काम लेते हैं और कभी कभार माल व दौलत के माध्यम से भी लोगों को रिझाने का प्रयास करते हैं यह एक दावा है जिसका इस्लामी कानून, अक़्ली पहलू से और जमीनी एतबार से समीक्षा करने की ज़रूरत है ताकि इस दावे की हक़ीक़त सामने आ जाये और सही स्थिति से अवगत हों।

इस्लामी क़ानून के एतबार से देखा जाए और अंतिम पैगम्बर का अमल और आप की ज़िम्मेदारियों का जायज़ा लिया जाए तो यह बात खुलकर सामने आती है कि अल्लाह तआला ने अपने पैगम्बर को केवल दीन के प्रचार व प्रसार की ज़िम्मेदारी दी थी अर्थात अल्लहा का सन्देश

अल्लाह के बन्दों तक पहुंचाने का आप के जिम्मे था और साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया था कि प्रचार की सफलता और नाकामी की चिन्ता आप को नहीं करनी है यह अल्लाह के हाथ में है। सच्चा मार्ग दिखाना अल्लाह का काम है। आप अपने ज़िम्मे (दायित्व) का काम करते जाएं और परिणाम से बेफिक्र रहें। इस संबन्ध में कुछ कुरआनी आयतों पर नज़र डालें।

अल्लाह तआला ने फरमाया ''(ऐ नबी!) आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते अल्लाह ही जिसे चाहे हिदायत (सच्चा मार्ग) देता है हिदायत वालों से वही खूब आगाह है'' (सूरे क़िसस्-५६) दूसरी जगह फरमायाः

''अगर यह लोग मुंह फेर लें तो (ऐ नबी!) हम ने आप को उनका निगरां (संरक्षक) बना कर नहीं भेजा है। आप की जिम्मेदारी तो केवल प्रचार व प्रसार की है'' (सूरे शूरा-४८)

पवित्र कुरआन में दूसरी जगह अल्लाह तआला ने यूं फरमायाः

''(ऐ नबी!) आप नसीहत करें आप का काम नसीहत करना है आप उनके ऊपर दारोगा नहीं हैं'' (सूरे ग़ाशिया-२१-२२)

यह भी फरमायाः

''दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं हिदायत और गुमराही जाहिर हो चुकी है'' (सूरे बक़रा-२५६)

फरमायाः

''(ऐ नबी!) कह दीजिये कि हक़ तुम्हारे रब की तरफ से है पस जो चाहे ईमान लाये और जो चाहे कुफ्र करे'' (सूरे कहफ-२६)

इसी अर्थ को इन शब्दों में भी बयान किया गया हैः

''हमने उसे राह दिखला दी अब चाहे वह शुक्र गुज़ार बने चाहे नाशुकरा''

लोगों को संबोधित करके कहा गया ''अगर रूगरदानी करोगे तो जान लो कि हमारे रसूल के ज़िम्मे सिर्फ साफ-साफ पहुंचा देना था'' (सूरे माइदा-९२)

सारांश यह है कि इस अर्थ की बहुत सी आयतें हैं जिनमें स्पष्ट किया गया है कि अल्लाह का दीन और अल्लाह का सन्देश स्पष्ट रूप से पेश हो चुका है। सहीह और गलत रास्तों की निशानदिही (चिंहित) कर दिया गया है। इन्सान को अक़्ल और सूझ बूझ भी दी गई है। दोनों रास्तों और दोनों के अंजाम को सामने रखे और अपने लिये सहीह राह का चुनाव करे। इसके लिये उसके ऊपर किसी तरह का ज़ोर या ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं है और नबी का काम भी यही है कि भलाई और बुराई और सत्य और असत्य को स्पष्ट कर दे ताकि जिम्मेदारी पूरी हो जाए और जो काम नबी (पैगम्बर) का है वही काम उसके अनुयाइयों का भी है।

इस तरह पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का व्यवहारिक जीवन और आप की पवित्र जीवनी के अध्ययन से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कभी इस्लाम के लिये किसी को मजबूर नहीं किया, किसी पर सख्ती नहीं की आपने हक़ को बयान किया और इसे कुबूल करने का अनुरोध किया।

कुछ अन्य ध्यान देने योग्य बिन्दु : किसी को जबरदस्ती इस्लाम में दाख़िल करने के बारे में निम्न बिन्दुएं भी क़ाबिले गौर हैं।

१. इस्लाम में यह बात सर्वमान्य और सबकी सहमति है कि अगर कोई अपनी इच्छा के बगैर किसी

जोर और जबरदस्ती की वजह से इस्लाम कुबूल करता है तो ऐसा इस्लाम स्वीकृत नहीं है और न ऐसे मुसलमान से कोई फायदा मिलने वाला है बिलकुल वैसे ही जैसे किसी मुसलमान को जबरदस्ती इस्लाम से फेरा जाए तो वह इस्लाम से खारिज नहीं होता।

२. एक मुसलमान को किताबिया (यहूदी या ईसाई) औरत से शादी करने की इजाज़त है लेकिन अगर कोई किसी किताबिया औरत से शादी करता है तो इस औरत के लिये ज़रूरी नहीं है कि वह अपने धर्म और आस्था को छोड़ दे और इस्लाम कुबूल करे इसे अपने धर्म पर बाक़ी रहने का पूरा अधिकार है।

३. अगर लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया होता तो मौक़ा मिलते ही इस्लाम से निकल भागते और पुराने धर्म की तरफ लौट जाते लेकिन कोई भ इस्लाम की पूरी तारीख में इस तरह की मिसाल पेश करने से विवश है।

४. अगर जबदरस्ती लोगों को मुसलमान बनाना होता तो मुसलमान कई शताब्दियों तक पूरी ताकत और कुव्वत में रहे वह चाहते तो ज़बरदस्ती अपने आस-पास के लोगों को मुसलमान बना लेते और मुस्लिम समाज में कोई गैर मुस्लिम न रहता लेकिन इतिहास गवाह है कि पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के जमाने में आप के सहाबा (साथियों) के ज़माने, उमवी और अब्बासी के जमाने में और बाद के काल में भी हमेशा मुस्लिम देशों और क्षेत्रों में गैर मुस्लिम (यहूदी, ईसाई, मजूसी, बुतपरस्त, आतिशपरस्त व अन्य समुदाय) मुसलमानों के साथ-साथ रहे, उन्हें बड़े-बड़े पद दिये गये और वह प्रतिष्ठित और सम्माननीय रहे। मदीना में मस्जिदे नबवी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो को नमाज़ बल्कि इमामत की हालत में एक मजूसी मुलाम ही ने तो शहीद किया था।

५. ''इस्लाम में ज़िम्मीयों के अधिकार'' यह एक ऐसा शीर्षक है कि जबरदस्ती मुसलमाना बनाने की थियोरी के खण्डन के लिये अकेले काफी है। ज़िम्मी उन प्रजा को कहते हैं जो इस्लामी शासन में आबाद हों और जिन का धर्म इस्लाम न हो। मुस्लिम हकूमत इनसे बहुत ही मामूली टेक्स लेकर इसके बदले उनकी जान व माल और सम्मान की सुरक्षा की ज़िम्मेदार होती थी और उनको बहुत से धार्मिक, समाजी और राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते। अगर जबरदस्ती मुसलमान बनाने की कोई हक़ीक़त होती तो मुस्लिम हुकूमतों के यहां यह विभाग वजूद ही में न आता बल्कि ऐसे लोगों को तो इस्लाम में दाख़िल कर लिया जाता या इन्कार की सूरत में देश बदर कर दिया जाता।

६. बहुत से गैर मुस्लिम इतिहासकारों एवं चिंतकों ने भी इस्लाम और मुसलमानों की उदारता को स्वीकार किया है और किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाने की मनगढ़ंत बातों का खण्डन किया है चन्द मिसालें पेश हैं।

प्रसिद्ध यूरोपियन इतिहासकार एडवर्ड गबन लिखता है:

''इस्लाम ने किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, कोई धार्मिक अदालत अन्य धर्मों के मानने वालों को सज़ा देने के लिये काइम नहीं की और इस्लाम ने लोगों के धर्म को जबरदस्ती बदलने का कभी इरादा नहीं किया...इस्लाम के इतिहास के हर पृष्ठ में और हर देश में जहां उसको विस्तार मिला वहां दूसरे धर्मों के साथ उदारता पायी जाती है। यहां

तक कि फलस्तीन में एक ईसाई कवि ने इन वाक़आत को देखकर जिन का उल्लेख हम कर रहे हैं। १२०० साल पहले खुले तौर पर कहा था कि सिर्फ मुसलमान ही इस धरती पर ऐसी कौम हैं जो दूसरे धर्म वालों को हर प्रकार की आज़ादी देते हैं'' (इस्लाम और रवादारी, लेखकः मतीन तारिक बागपती प्रकाशक मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी दिल्ली, प्रथम संस्करण १६८६, पृष्ठ ८०-८१ संदर्भ ''ज़वाल रोमतुल कुब्रा-पृष्ठ १५८)

प्रसिद्ध फ्रेन्च चिंतक डा० गुस्तावाली अपनी किताब ''तमद्दुने अरब'' (अरब की संस्कृति) में लिखते हैंः ''मुसलमान हमेशा पराजित कौमों (अपनी प्रजा) को अपने धर्म की पाबन्दी में आज़ाद छोड़ देते हैं'' (पूर्व संदर्भ) पृष्ठ-८०

हिन्दुस्तान में मुसलमानों के आने का सिलसिला पहले से जारी था लेकिन मुहम्मद बिन क़ासिम के आगमन से इतिहासक हैसियत से हिन्दुस्तान में मुसलमानों का सिलसिला शुरू माना जाता है। मुहम्मद बिन क़ासिम और धार्मिक उदारता के हवाले से एक मिसाल पेश की जा रही है।

प्रसिद्ध इतिहासकार अली बिन हामिद लेखक ''तारीखे सिन्ध'' ने धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में मुहम्मद बिन कासिम की पालीसी का यह एलान नक़ल किया है कि

''हमारी हुकूमत में हर शख्स धार्मिक मामले में आज़ाद होगा जो शख्स चाहे इस्लाम कुबूल करे और जो चाहे अपने धर्म पर काइम रहे हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं होगी।'' (इस्लाम और रवादारी पृष्ठ-१५३)

हिन्दुस्तान के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी किताब ''डिस्कवरी आफ इंडिया'' के पृष्ठ २०४ पर लिखा है।

''अफ़गान और मुग़ल शासकों ने खास तौर पर इस बात का हमेशा ख्याल रखा कि देश के प्राचीन रस्म व रिवाज और सिद्धांतों में कोई हस्तक्षेप न किया जाए, इनमें कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किया गया। हिन्दुस्तान का आर्थिक व समाजी ढांचा बदस्तूर स्थापित रहा। गयासुददीन तुगलक ने अपने शासकों को स्पष्ट निर्देश इस बारे में जारी किये थे कि वह देश के रिवाजी कानून को स्थापित रखें और हुकूमत के मामलात को धर्म से जो हर व्यक्ति की निजीआस्था होता है बिल्कुल अलग रखें'' (पूर्व संदर्भ पृष्ठ १७६-१८०)

प्रोफेसर राम प्रसाद घोसला अपनी किताब ''मुग़ल किंगशिप एण्ड नोबीलिटी'' में लिखते हैं :

''मुग्लों के ज़माने में समता व न्याय में जो एहतामा होता और जो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की पालीसी थी इससे आवाम हमेशा संतुष्ट रहे। इस्लामी हुकूमत में राजनीति और धर्म का गहरा लगावा रहा लेकिन मुग्लों की धार्मिक उदारता की वजह से इस लगाव के बावजूद कोई खतरा पैदा नहीं हुआ। किसी जमाने में भी यह कोशिश नहीं की गई कि शासक कौम का धर्म महकूमों का भी धर्म बना दिया जाए यहां तक कि औरंगज़ेब ने भी नोकरी पाने के लिये इस्लाम की शर्त नहीं रखी। मुगल काल में "Fermilao Act" या "Corporation Act" जैसे कानून मंजूर नहीं किये गये। एलजाबेथ के ज़माने में एक ऐसा कानून था जिसके माध्यम से जबरदस्ती इबादत कराई जाती थी। मुगलों के ज़माने में इस प्रकार की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई "Bortholomews day" के जैसे नरसंहार (कत्ले आम) से

मुग्लों की तारीख कभी दागदार नहीं हुई। धार्मिक जंग के रक्तपात (खूंरेज़ी) से यूरोप की तारीख भरी पड़ी है लेकिन मुग्लों के ज़माने में ऐसी ध ार्मिक जंग की मिसाल नहीं मिलती बादशाह इस्लाम धर्म का रक्षक और संरक्षक ज़रूर समझा जाता था लेकिन उसने कभी गैर मुस्लिम प्रजा की आस्था पर दबाव नहीं डाला।'' (इस्लाम में धार्मिक रवादारी, लेखकः सैयद सबाहुददीन अब्दुर्रहमान, दारूल मुसन्निफीन आज़म गढ़, नया संस्करण २००६ ई० पृष्ठ-२८७)

मिस्टर डब्लू आरनल्ड अपनी किताब ''पिरीचिंग आफ इस्लाम'' में लिखते हैं :

''औरंगज़ेब के ज़माने की तारीखी किताबों में जहां तक मैंने तलाश किया है ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता'' (इस्लाम और रवादारी पृष्ठ-२१६)

एक फ्रांसीसी पर्यटक डा० बरनेर दिल्ली के सूरज ग्रहण के स्नान और पूजा पाट को देखने के बाद लिखते हैं।

''मुस्लिम शासकों के राजपाट चलाने के उपाय का यह एक भाग है कि वह हिन्दुओं की रस्मों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते और उन्हें धार्मिक रस्मों को करने की पूरी आज़ादी देते हैं'' (पूर्व संदर्भ)

यह बात भी याद रखनी चाहिए कि भारत के संविधान में सभी धर्मों के लोगों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबन्ध, धर्म के प्रचार और धार्मिक शिक्षा की आज़ादी दी गई है संविधान की दफा २५ में ज़मीर की आज़ादी, धर्म को कुबूल करने और उसकी पैरवी और प्रचार की आज़ादी का उल्लेख है दफा २६ में धार्मिक मामलों के प्रबन्ध की आज़ादी की बात कही गई है। दफा २७ में किसी विशेष धर्म के विकास के लिये टेक्स अदा करने के बारे में आज़ादी की बात का उल्लेख है। दफा २८ में बाज शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पाने या धार्मिक इबादत के बारे में आज़ादी का बयान है।

इन तमाम दफआत में अल्पसंख्यक और बहुसंख्क की कोई क़ैद (शर्त) नहीं है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के संबन्ध में विशेष रूप से कुछ दफआत हैं चुनानचे दफा २६ में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का उल्लेख है और दफा ३० में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रबन्ध करने का अधिकार दीया गया है। (देखिएः भारत का संविधान पृष्ठ-५१-५४)

सारांश यह है कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना खुद इस्लामी शरीअत ही में मना है तो मुसलमान इस इस्लाम में किसी को ज़बरदस्ती क्यों दाख़िल करें गे जबकि इस्लाम इससे स्वयं मना करता है।

इस्लाम की चौदह सौा वर्षीय इतिहास भी इस तरह के उदाहरण से खाली है। अकली और तार्किक एतबार से यह आरोप हास्यास्पद (मज़हका ख़ेज़) है। गैर मुस्लिम चिंतकों और इतिहासकारों की एक बड़ी तादाद अपनी तहकीकात और अपने निरीक्षण की रोशनी में इन मनघड़त बातों को गलत क़रार दे चुकी है। इन यथार्थ के बावजूद अब भी अगर कोई इस प्रकार की बातों पर यक़ीन रखता है तो वह वास्तवकि स्थिति से बेखबर और नकारात्मक प्रोपैगण्डों से प्रभावित है या जान बूझ कर केवल दुश्मनी में ऐसा करता है। (लेख का आशिंक भाग जरीदा तर्जुमान पाक्षिक १-१५ नवंबर २०२१)

बेटी को बेहतरीन प्रशिक्षण देना माँ की ज़िम्मेदारी

मौलाना अब्दुल मन्नान शिकरावी

इस्लाम हर तरह की खूबियों से मालामाल धर्म है वह इन्सान को हर तरह के हालात में बेहतर ज़िन्दगी गुजारने की तरफ मार्गदर्शन करता है। माँ के पेट में नुतूफे की शक्ल में उसके वजूद से लेकर कब्र में जाने तक की समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान पेश कर दिया है। बच्चों के जन्म से लेकर जवान होने तक हर तरह के आवश्यक निर्देश पेश कर दिये हैं और सफल जीवन के रहस्य को स्पष्ट रूप से बता दिया है। माँ की गोद बच्चों की पहली पाठशाला है जिससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है लेकिन अगर इसकी अहमियत को समझने में कोताही और ज़रूरी व्यवहारिक पहल में सुस्ती से काम लिया जाए तो बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। बच्चों में भी खास तौर से बच्चियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण की जानिब ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेटी की ज़िन्दगी का एक चरण गुज़र जाने के बाद उसे एक अनजान वातावरण का सामना करना है जिसमें अपने को एडजेस्ट करना और इस वातावरण की चुनौतियों का मुकाबला करना मामूली काम नहीं है। दामपत्य जीवन को भली भांत गुज़ारने की ट्रेनिंग देना विशेष रूप से मां की हजिम्मेदारी है लेकिन बहुत सी माओं को शादी की उमर तक पहुंच जाने वाली बेटियों के बारे में अपनी वास्तविक ज़िम्मेदारी का एहसास ही नहीं होता बल्कि वह अपनी जिम्मेदारी से गाफिल रहती हैं। बेटी को पति के साथ बर्ताव के तरीके, दामपत्य जीवन की कठिनाइयों से बचाने के गुण, बीवी के पति और पति के बीवी के जिम्मे अधिकार जैसे बहुत से मामलात हैं जिन्हें शादी से पहले बेटी को सिखाना व बताना मां की ज़िम्मेदारी है।

शादी के बाद लड़की के लिये उचित यही है कि वह अपने पति की फरमाबरदारी करे शर्त यह है कि फरमाबरदारी में अल्लाह की नाफरमानी न हो क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिस कर्म से अल्लाह की नाफरमानी होती हो उसमें किसी भी सृष्टि की फरमाबरदारी जायज़ नहीं।

औरत के लिये यह भी ज़रूरी है कि वह अपने पति के साथ नर्मी का व्यवहार करे किसी भी छोटे बड़े मामले में झगड़ा न करे क्योंकि जब औरत हर छोटे बड़े मामले में फरमाबरदारी (आज्ञापालन) से काम न ले तो दामपत्य जीवन का प्राकृतिक अन्दाज़ में चलना कठिन ही नहीं असंभव हो जाता है।

माँ को अपनी बेटी का ध्यान जिन मामलों की तरफ दिलाना ज़रूरी है उनमें पति और उसके घर के राज़ की हिफाज़त भी है। पति के रहस्यों को प्रकट करना बहुत सी कठिनाइयों का सबब बन सकता है बल्कि बाज दफा तो यही घरों की बर्बादी और उजड़ने का सबब बन जाता है।

घर की देख भाल और यथाशक्ति घरेलू काम काज को करना बच्चों की बेहतरी तर्बियत बीवी की अहमतरीन जिम्मेदारियों में से है। बेहतर यही है कि लड़की को घरेलू

काम को शादी से पहले सीख लेना चाहिए।

हज़रत अनस रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सहाबा जब किसी औरत को रूखसत करते थे तो उसे पति की सेवा और उसके अधिकारों की देखभाल और बच्चों की तर्बियत का हुक्म देते थे।

नेक औरत वह है जो अपने पति की गैर मौजूदगी में उसके अधिकारों की हिफाज़त करे, अपने आप की हिफाज़त करे और इस्लामी शिष्टाचार का ख्याल रखे, पति के माल की हिफाज़त करे और उसके माल में फुजूल खर्ची से परहेज़ करे।

औरत को ऐसा काम और व्यवहार करना चाहिए जिस से वह अपने पति की दृष्टि में प्रिय बन जाए ऐसी औरत अपने पति के लिये सुख और राहत का माध्यम बन जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ऐसी खूबियों वाली कुरैश की औरतों की बड़ी सराहना की है। फरमाया जो औरतें ऊंटों पर सवार हुईं उनमें सबसे अच्छी कुरैश की भाग्यशाली औरतें हैं। बच्चों के बचपन में सबसे ज़्यादा मेहरबान और अपने पति के माल की सबसे ज़्यादा हिफाज़त करने वाली होती है। (सहीह मुस्लिम)

संयम और संतुष्टि ऐसी आदतें हैं जो अल्लाह तआला को बहुत पसन्द हैं अगर औरतों के अन्दर यह खूबी पायी जाती है तो वह सब्र व सुकून की प्रतीक बन जाती हैं ऐसी औरतों के साथ जीवन यापन करना बड़ा सुखद और सुगम होता है। अगर यह खूबियां न हों तो दामपत्य जीवन बेमज़ा और घर वीरान हो जाएगा। ज़िन्दगी के फैसले व्यक्तगत रूप से लेना उचित नहीं है अगर पति और पत्नी के आपसी मश्वरे से कोई काम किया जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। पूरे जीवन में फैसले लेने के अवसर बार बार आते रहेंगे अगर आपसी मश्वरे से यह फैसले लिये जाएंगे तो सफल और सुगम दामपत्य जीवन बहाल रहेंगे।

अंडमान व निकोबार की प्रसिद्ध शैक्षणिक व समाजी हस्ती जनाब ए.पी. मुहम्मद का इन्तेक़ाल

अंडमान निकोबार की प्रसिद्ध शैक्षणिक व समाजी हस्ती जनाब ए. पी. मुहम्मद का ३१ अक्टूबर २०२१ की सुबह को निधन हो गया। उन्होंने अगर्चे नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी लेकिन उन्होंने हज़ारों लोगों को शिक्षा की नई बुलंदियों और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक शिक्षाविद् की तरह उन्होंने सी.बी.एस.सी से एफीलियेटड स्कूलों की स्थापना में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। वह लेख और तकरीर और अपने आचरण से जनसाधारण को सलफी विचारधारा की तरफ प्रेरित करते रहे। उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया उनके निधन से हमने एक महान व्यक्ति को खो दिया। अल्लाह उनकी मग्फिरत फरमाये, उनकी सेवाओं को कुबल करे, जन्नतुल फिरदौस का वासी बनाये और पसमाँदगान को सबरे जमील की क्षमता दे। आमीन (शरीक गमः टी.हमज़ा, अमीर जमीअत अहले हदीस अंडमान व निकोबार)

पैग़म्बर बनाए जाने से पहले की ज़िन्दगी

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रह०

हज़रत अली रज़ियल्लाहो अन्हो और हज़रत आइशा रज़ियल्लाहो अन्हा के बयानात का संबन्ध ज़्यादातर नबुव्वत के ज़माने से है जिस की कुल मुददत २३ साल थी। इससे पहले आप चालीस साल की लम्बी मुद्दत गुज़ार चुके थे यही ज़िन्दगी है जिसे कुरआन मजीद में एक जगह पर नबुव्वत की सच्चाई की एक मजबूत दलील क़रार दिया गया है यानी

''यह वाक़आ है कि मैं इस मामले (यानी नबुव्वत) से पहले तुम लोगों के अन्दर एक पूरी उमर बसर कर चुका हूं, क्या तुम समझते बूझते नहीं'' (सूरे यूनुस-१६)

अरब के मुश्रिकीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सच्चाई व श्रेष्ठता से इनकार नहीं था यहां तक कि अबू जहल को भी स्वीकार था कि आप सच्चे हैं, मगर वह कहते थे कि आप ऐसी बातें कहते हैं जिन्हें हम कुबूल नहीं कर सकते। मौलाना अबुल कलाम मरहूम फरमाते हैं कि उपर्युक्त आयत के टुकड़े में नबुव्वत (पैगम्बरी) की एक सबसे ज़्यादा स्पष्ट और विजदानी दलील बयान की गई है यानी फरमायाः

''सारी बातें छोड़ दो। इसी बात पर गौर करो कि मैं तुम में नया आदमी नहीं, जिस की खूबियों और हालात की तुम्हें खबर न हो, तुम ही में से हूं और वह्य (प्रकाशना) के एलान से पहले एक उमर तुम में बसर कर चुका हूं यानी चालीस वर्ष तक की उमर कि इन्सान की उम्र की पोख़तगी की पूरी मुददत है। इस तमाम मुददत में मेरी ज़िन्दगी तुम्हारी आखों के सामने रही, बताओ, इस में कोई एक भी बात तुमने सच्चाई और ईमानदारी के खिलाफ देखी? फिर अगर इस तमाम मुददत में मुझ से यह न हो सका कि इन्सानी मामले में झूठ बोलूं तो क्या अब ऐसा हो सकता है कि अल्लाह पर झूठा आरोप बांधने के लिये तैयार हो जाऊं और झूठ मूट कहने लगूं, मुझ पर उसका कलाम (वाणी) नाजिल होती है? क्या इतनी छोटी सी बात भी तुम नहीं पा सकते?

नैतिकता और मनोविज्ञान के तमाम सलाहकार इस पर सहमत हैं कि इन्सान की आयु में शुरूआत के चालीस वर्ष का ज़माना उसके आचरण और स्वभाव के उभरने और बनने का असली ज़माना होता है जो सांचा इस मुददत में बन गया फिर बाकी ज़िन्दगी में बदल नहीं सकता। इसलिये अगर एक शख्स चालीस वर्षों तक सत्यवान और एमानतदार रहे तो क्योंकर संभव है कि ४१वें वर्ष में क़दम रखते ही ऐसा महा झूठा और गढ़ंती बन जाये कि इन्सानों पर ही नहीं ''फातिरूस्समावाती वल अर्जी'' (आसमान व ज़मीन के पैदा करने वाले पर) झूठा आरोप लगाने लगे?

अतः बाद में फरमायाः ''दो बातों से तुम इन्कार नहीं कर सकते कि जो शख्स अल्लाह पर झूठा आरोप लगाए, उससे बढ़ कर कोई उजड नहीं और जो सत्यवान को झूठलाए वह भी सबसे ज़्यादा उजड इन्सान है और उजड और झूठा आरोप लगाने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता..फैसला अल्लाह के हाथ में है और उसका कानून है कि अपराधियों को सफलता नहीं देता।

चुनानचे अल्लाह का फैसला लागू हो गया जो झूठे थे, उनका नाम व निशान बाक़ी न रहा, जो सत्यवान था उसकी सत्य बात आज तक स्थापित है और स्थापित रहेगा। (रसूले रहमत-पृष्ठ ६७५-६७६)

सैलाब और अन्य प्राकतिक आपदा से जानी व माली नुक़सानात सहयोग और दुआ की अपील

देश के विभिन्न स्थानों विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार उत्तराखण्ड, केरल और यूपी आदि के बाज़ ज़िलों में गैर मामूली बारिश की वजह से सैलाब की खराब स्थिति और प्राकृतिक आपदा के परिणाम में होने वाले भारी जानी व माली नुकसानात सख्त रंज व गम का कारण हैं और इस मुसीबत की घड़ी में आप सब ही से इन्सानियत के नाते सहयोग और दुआ की अपील है। मुसीबत ग्रस्त एलाकों में सैलाब के कारण तबाही बढ़ती जा रही है इसलिये प्रभावित लोग सब्र और संयम का दामन थामे रहें और आपसी भाई चारा और आपसी सहयोग का विशेष ख्याल रखें। इसके अलावा राष्ट्र व समुदाय के शुभचिंतकों से बिना धर्म के अन्तर के अपील की जाती है कि वह मुसीबत की इस घड़ी में मानवता के रिश्ते को निभाते हुए अपने भाइयों की भरपूर मदद और दुआ करें। इसी तरह राज्य एवं केन्द्र सरकारों से मांग की जाती है कि प्रभावितों को राहत पहुंचाने, पुनर्वास और नुकसानात के मुआवजे के सिलसिले में उचित इकदामात करें।

मर्कज़ी जमीअत मुसीबत की इस घड़ी में प्रभावितों के लिये दुआ और तमाम भाइयों विशेष रूप से अपनी तमाम राज्य इकाइयों के पदधारियों से उनकी मदद के लिये अपने अपने राज्यों से भपरूर सहयोग की अपील करती है। निःसन्देह इतने बड़े पैमाने पर जान व माल की तबाही व बर्बादी प्राकृतिक व्यवस्था का भाग है और इस तरह की प्राकृतिक आपदाएँ ज़मीन पर बसने वाले हम इन्सानों के पापों के साधारण हो जाने की वजह से भी आती हैं और इस तरह अल्लाह तआला सँभलने के लिये कभी कभी अपनी निशानियाँ ज़ाहिर करता है और अपने बाज़ बन्दों को आज़माता है इस लिये इस से बन्दों को पाठ हासिल करना चाहिए और सब्र एवं आत्मनिरीक्षण से काम लेना चाहिए और विश्व स्तर पर जहाँ भी लोग तरह-तरह की परेशानियों में लिप्त हैं सबके लिये अल्लाह से आफियत की दुआ करनी चाहिए और सहयोग में जहाँ तक संभव हो हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह तआला प्रभावितों की विशेष मदद फरमाए और हम सबको हर तरह की मुसीबतों व बीमारियों से सुरक्षित रखे और भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की क्षमता दे। आमीन

अपील कर्ताः- **असगर अली इमाम महदी सलफी**

अध्यक्ष मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द व अन्य जिम्मेदारान व सदस्यगण

चेक/डराफ्ट इन नामों से बनायें।

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind
A/c: 629201058685
ICICI Bank (Chandni Chowk Branch)
RTGS/NEFT IFSC Code-ICIC0006292

Ahle Hadees Relief Fund
A/c No. 200110100007015
Bombay Mercantile Cooperative Bank LTD
IFSC Code: BMCB0000044
Branch: Darya Ganj, New Delhi

प्यारे रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें

❑ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी बयान करते हैं कि एक व्यक्ति ने आकर मुहम्मद स०अ०व० से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा काम बता दिजिये, जिसको करने से मैं जन्नत में चला जाऊं। मुहम्मद स०अ०व०ने फरमायाः अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को साझीदार न ठहराओ, नमाज़ काइम करो, जकात दो, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करो। (बुखारी-मस्लिम)

❑ तुम में से जो शख्स कोई बुराई देखे तो उसको अपने हाथ से खत्म करे अगर इसकी ताकत न हो तो जुबान से दूर करने का प्रयास करे, और अगर इसकी भी ताकत न हो तो दिल में इसको बुरा जाने और यह ईमान की सबसे कमज़ोर अलामत है। (मुस्लिम)

❑ मजलूम की बददुआ से बचो इसलिये कि इसके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं। (बुखारी)

❑ अगर किसी ने अपने भाई को अपमानित (रूस्वा) किया है, उसके माल व दौलत या किसी और चीज़ से कुछ लिया है या किसी के साथ कोई जुल्म किया है तो दुनिया ही में उसको मआफ करा ले और उसकी भरपाई कर दे वर्ना क्यामत के दिन जब दीनार व दिहर्म न होंगे ताकि किसी को इनके माध्यम से खुश किया जा सके। जालिम के अच्छे कर्मों को उसके जुल्म के हिसाब से मजलूम के हिस्से में डाल दिये जायेंगे। जब उसका नाम-ए- आमाल नेकियों से खाली हो जायेगा और मजलूम का हक़ बाकी रहेगा तो मजलूम के गुनाह उसके सर पर डाल दिये जायेंगा। (बुखारी)

❑ जुल्म से बचो इसलिये कि जुल्म क्यामत के दिन अंधेरा बन कर आयेगा। (मुस्लिम)

❑ अपने भाई की मदद करो, चाहे वह जालिम हो या मजलूम। आप स०अ०व० से पूछा गया, जालिम की मदद कैसे की जाये। फरमाया कि उसको जुल्म करने से रोकना ही उसकी मदद है। (बुखारी-मुस्लिम)

❑ ऐ अबू ज़र! जब तुम्हारे घर सालन बनाया जाये तो उसमें पानी बढ़ा लिया करो और अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। (मुस्लिम ४७५८)

❑ जो व्यक्ति अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वह अपने पड़ोसी को दुख न दे। (बुखारी-५६७१)

❑ वह व्यक्ति जन्नत में नहीं जा सकता जिस की शरारतों से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो। (मुस्लिम-६६)

❑ एक बार मुहम्मद स०अ०व० ने तीन बार यह वाक्य सुनाया कि अल्लाह की कसम वह व्यक्ति मोमिन नहीं हो सकता जिसके दुख से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो। (बुखारी-५५५७)

ऐ बिलादे हरम

मुहम्मद इब्राहीम सज्जाद तैमी

ऐ बिलादे हरम तू सलामत रहे
तुझ को हासिल सदा रब की रहमत रहे

तेरे जर्रों में तौहीद की रोशनी
तेरी गलियों में सुन्नत की है चांदनी
क्यों न फिर हम को तुझ से मुहब्बत रहे
ऐ बिलादे हरम! तू सलामत रहे

सब्ज़ परचम तेरा एक रब का गवाह
तू सरापा है इस्लाम की शाहरह
तुझ पे रब की बरस्ती इनायत रहे
ऐ बिलादे हरम! तू सलामत रहे

दुश्मनों की नज़र में है अर्जे हरम
या इलाही तू महफूज रखना भ्रम
तेरी नज़रे करम ता क्यामत रहे
ऐ बिलादे हरम! तू सलामत रहे

खादिमे अर्जे हरमैन को तू सदा
रखना हिफ्जो अमां में यही है दुआ
हर अदू उसका बर्बाद व गारत रहे
ऐ बिलादे हरम! तू सलामत रहे

ऐ बिलादे हरम तू सलामत रहे
तुझ को हासिल सदा रब की रहमत रहे

(साभारः जरीदा तर्जुमान १-१५ अक्टूबर २०२१)

(प्रेस रिलीज़)

केरला में सैलाब से नुकसान पर रंज व गम का इज़हार

दिल्ली १६ अक्टूबर २०२१

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द से जारी अखबारी बयान के अनुसार मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने देश के विभिन्न हिस्सों खास तौर से केरला के अन्दर गैर मामूली बारिश की वजह से सैलाब की खराब स्थिति और लैन्ड सलाइडिंग के नतीजे में होने वाले भारी जानी व माली नुकसानात पर सख्त रंज व ग़म व्यक्त किया है।

अमीर मोहदय ने सैलाब प्रभावितों से हमदर्दी व्यक्त करते हुए कहा है कि इन कठिन हालात में वह सब्र व संयम का प्रदर्शन करें और आपसी भाई चारा और आपसी सहयोग का खास ख्याल रखें इसके अलवा उन्होंने राष्ट्र व समुदाय के तमाम शुभचिंतकों से अपील की है कि वह अपने भाइयों की विपदा की इस घड़ी में खूब मदद करें। साथ ही राज्य व केन्द्रीय सरकारों से मांग की है कि केरला और उत्तराखण्ड आदि राज्यों के सैलाब प्रभावितों को राहत पहुंचाने, पुनर्वास और जानी व माली नुकसानात के सिलसिले में उचित इक़दामात करें। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द ने मुसीबत की इस घड़ी में प्रभावितों के लिये दुआ और तमाम देश वासियों विशेषरूप से अपनी तमाम प्रादेशिक इकाइयों के जिम्मेदारों से उनकी मदद के लिये अपने अपने राज्यों से भरपूर सहयोग की अपील की है।

सम्माननीय अमीर ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर जान व माल की तबाही प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा है और इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा ज़मीन पर बसने वाले हम इन्सानों के गुनाहों के साधारण होने की वजह से भी आती है और अल्लाह तआला संभलने के लिये कभी कभी अपनी निशानियां दिखाता है और अपने बाज़ बन्दों को आज़माता है इसलिये बन्दों को सब्र और आत्मनिरिक्षण से काम लेना चाहिए और तमाम देश बन्धुओं के लिये अल्लाह से सुख की दुआ करनी चाहिए और सहयोग में भरपूर हिस्सा लेना हम सब का कर्तव्य है। हक़ीकत यह है कि अल्लाह तआला जिस तरह हमारे भाइयों को मुसीबत के ज़रिए आज़माता है उसी तरह सुख में रख कर उनके तई हमें भी आज़माना चाहता है।

मुफ्त मेडिकल चेकअप

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के द्वारा और एच.आर डायगनोस्टिक ओखला नई दिल्ली की साझेदारी से अहले हदीस कम्पलैक्स अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव ओखला नई दिल्ली में २४ अक्टूबर २०२१ को सुबह ६ बजे मुफ्त हेल्थ चेकअप कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें थाईराइड, बीपी, शूगर, बी.एम. आई आदि का मुफ्त चेकअप हुआ और माहिर डाक्टरों द्वारा मरीज़ों के चेक अप के बाद मुफ्त दवाएं भी दी गईं। इस मौक़े पर मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीरे मोहतरम ने कैम्प में मौजूद डाक्टर्स और अन्य मेडिकल कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन किया और इस तरह के कैम्प को वक़्त की ज़रूरत क़रार दिया और कहा कि इन्शाअल्लाह यह सिलसिला भविष्य में भी जारी रहेगा। ताकि इससे हर कोई फाइदा उठा सके। कैम्प में डाकटर्स के साथ एच.आर डायगनोस्टिक के आबिद अली साहब, डा० मुहम्मद शीस इदरीस तैमी साहब और मौलाना मुहम्मद रईस फैज़ी व अन्य हस्तियां शरीक हुयीं। इससे पहले भी अहले हदीस कम्पलैक्स में इस तरह का मुफ्त मेडिकल चेकअप कैम्प का आयोजन हो चुका है जिससे एलाके के लोगों ने लाभ उठाया।

प्रसिद्ध आलिमे दीन और शोधकर्ता डा० अब्दुल अली हामिद अज़हरी का निधन

दिल्ली ११ अक्टूबर २०२१

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द से जारी अखबारी बयान के अनुसार मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने प्रसिद्ध इस्लामी स्कालर महान शोधकर्ता, प्रतिष्ठित लेखक, दी मुस्लिम कालेज लनदन के प्रोफेसर, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस इंगलैण्ड की अंगेजी पत्रिका के पूर्व संपादक मौलाना हाफिज़ डा० अब्दुल अली हामिद अजहरी आजमी के निधन पर गहरा रंज व गम व्यक्त किया है और उनके निधन को दीनी और ज्ञानात्मक जगत का बड़ा ख़सारा क़रार दिया है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि डा० अब्दुल अली हामिद अज़हरी साहब का संबन्ध मऊ की उपजाऊ धरती के प्रसिद्ध दीनी व इल्मी खानदान से था उनकी प्रारम्भिक शिक्षा मदर्सा आलिया अरबिया और जामिया रहमानिया वाराणसी में हुई १९६० में हिन्दुस्तान की प्रसिद्ध पाठशाला जामिया इस्लामिया फैजे आम मऊ में दाख़िला लिया और १९६२ में सनद हासिल की। १९६७ में जामिया अज़हर मिस्र से इस्लामिक स्टडीज में और १९७० में काहिरा यूनीवर्सिटी से अरबी अदब में डबल एम.ए किया और नाइजेरिया की अहमदू बेलू यूनीवर्सिटी से पी.एच.डी की डिगरी हासिल की। वह जीवन भर पठन पाठन से संबद्ध रहे जामिया अज़हर जाने से पहले कुछ दिनों तक फैजे आम में अध्यापक रहे और जामिया अज़हर से डिगरी हासिल करने के बाद काहिरा रेडियो स्टेशन और इस के बाद जर्मनी रेडियो स्टेशन में एनाउन्सर की हैसियत से कार्यरत रहे। अब्दुल्लाही बायोरो यूनीवर्सिटी (कानो) नाइजेरिया में भी आप अध्यापक रहे फिर लन्दन में दी मुस्लिम कालेज के प्रोफेसर हो गये। डा० साहब जहां भी रहे अपनी कुशलता और मेहनत व लगन की वजह से विशिष्ट रहे। उन्होंने एक महीने में कुरआन याद कर लिया था। पठन पाठन के अलावा उन्होनें कुछ महत्वपूर्ण किताबें भी लिखीं।

सम्माननीय अमीर ने कहा कि मेरे बरतानिया के सफर में उन्होंने अनेक स्थानों का दर्शन करवाया और अपने घर ले गये और मित्रों से विचार विनियम का अवसर प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने दी मुस्लिम कालेज के डायरेक्टर जनाब डा० जकी बदवी मिसरी से मुलाकात कराई जिससे उनके ख्यालात से परिचित होने का मौका मिला। अफसोस कि डा० अब्दुल अली साहब का १० अक्टूबर २०२१ को इंगलैण्ड के वक़्त के अनुसार साढ़े बारह बजे दूपहर सलाव (इंगलैण्ड) के हस्पताल में ७८ साल की उमर में निधन हो गया।

अल्लाह डा० साहब की मग्फिरत फरमाये उनकी दीनी व इल्मी सेवाओं को कुबूल फरमाये और परिवार व संबन्धितों को सबरे जमील दे। आमीन (प्रेस रिलीज का सारांश जरीदा तर्जुमान १६-३१ अक्टूबर २०२१)

अनाथ

प्रोफेसर डा० ज़ियाउर्रहमान आज़मी

अनाथ उस बालक को कहा जाता है जिसके पिता का देहांत हो गया हो। अनाथों की बहुत सी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं का इस्लाम ने बहुत ही उत्तम तरीके से समाधान किया है।

अनाथ की दो ही दशाएं होंगी

पहली दशाः जिसके पिता का देहान्त हो गया हो और वह अपने पीछे बहुत सारा धन छोड़ गया हो। ऐसी दशा में उसके धन की देख-भाल करने के लिए किसी को नियुक्त किया जाएगा। उसपर अनिवार्य होगा कि वह अनाथ के धन को बढ़ाने का प्रयत्न करे और इस देख-भाल के बदले उसके लिए जो उचित राशि या धन निर्धारित किया जाए उससे अधिक न ले।

''अनाथ के धन के निकट भी न जाओ परन्तु उचित ढंग से, यहाँ तक कि वह युवावस्था को पहुंच जाए''। कुरआन सूरा-६, अल अनआम, आयत-१५२ तथा सूरा-१७, बनी इसराईल, आयत-३४)

अर्थात जब तक वह अनाथ युवावस्था को नहीं पहुँच जाता, उस समय तक उसके धन की देख भाल करो। उस पूंजी को उचित स्थान पर लगाओ, ताकि उसमें लाभ हो। अनाथ के धन को अपने धन के साथ मिला कर भी व्यापार किया जा सकता है।

जिसको अनाथ का संरक्षक बनाया गया हो उसपर अनिवार्य है कि अनाथ की भलाई के बारे में हर समय सोचता रहे। अगर वह समझता है कि अनाथ के धन को अलग व्यापार में लगाने से उत्तम यह है कि अपने व्यापार में सम्मिलित कर ले तो ऐसा कना निषिद्ध नहीं है।

''वे तुमसे अनाथों के बारे में पूछते हैं। कहो कि जिसमें उनका हित हो वही उत्तम है। और यदि तुम उन्हें अपने साथ मिला लो तो वे तुम्हारे भाई हैं। और अल्लाह बिगाड़ चाहने वालों को हित चाहने वालों से अलग पहचानता है। और अल्लाह चाहता तो तुम्हें कठिनाई में डाल देता। निस्सन्देह अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।'' (कुरआन, सूरा-२, अल-बक़रा, आयत-२२०)

यहां अपने साथ मिलाने का अर्थ उनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर व्यापार करना है, परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका उद्देश्य अनाथ के माल में बढ़ौतरी हो न कि हानि। इसी लिए कहा गया कि अल्लाह बिगाड़ चाहने वालों से हित चाहने वालों को अलग पहचानता है। संरक्षक अगर धनवान है तो उसको चाहिए कि अनाथ के माल से कुछ न ले, और अगर वह स्वयं निर्धन है तो उचित ढंग से नियमानुसार कुछ ले ले।

''और अनाथों को जाँचते रहो, यहाँ तक कि जब वे विवाह की अवस्था को पहुंच जाएं तो फिर यदि तुम उनमें देखो कि सूझ-बूझ आ

गई है तो उन्हें उनका धन वापस कर दो। और इस भय से कि बड़े हो जाएंगे, उनके माल को ज़रूरत से अधिक और जल्दी-जल्दी न खा जाओ। और जो धनवान है उसे चाहिए कि उनके माल से बचे, और जो निर्धन है वह उचित ढंग से नियमानुसार खा ले। फिर जब उनका माल उनको सौंपो तो साक्षी बना लो, और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है''। (कुरआन, सूरा-४, अन-निसा,आयतें-५,६)

अर्थात् अनाथों के धन को छल-कपट के साथ खाने वालों का अल्लाह कड़ा हिसाब लेगा। इसी लिए कहा गया है कि उनके धन के निकट भी न जाओ। और अनाथों के धन को खा जाने वालों के लिए अल्लाह की ओर से कठिन यातना है।

''जो लोग अनर्थ अत्याचार से अनाथों का धन खाते हैं वेअपने पेट में आग भरते हैं, और वे नरक में जाएंगे''। (कुरआन, सूरा-४, अन-निसा,आयत-१०)

और जब अनाथ युवावस्था को पहुंच जाए तो उसका धन उसके हवाले कर दिया जाए और उसमें किसी प्रकार का हेर-फेर न किया जाए।

''अनाथों को उनका धन दे दो, और बुरी चीज़ को (जो तुम्हारी हो) अच्छी चीज़ (जो उनकी हो) से न बदलो। और उनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर न खाओ। निस्सन्देह यह महापाप है''। (कुरआन, सूरा-४, अन-निसा, आयत-२)

अनाथ लड़कियों से विवाह

अनाथ लड़कियों से विवाह किया जा सकता है। बल्कि कई अवस्थाओं में तो उनसे विवाह करना उचित है। परन्तु इस बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ न्याय किया जा सकता है या नहीं? अगर यह भय हो कि न्याय नहीं किया जा सकेगा तो उनसे कदापि विवाह न करना चाहिए। होता यह है कि कुछ लोग यह सोचकर कि यह अनाथ कन्या है, उससे विवाह कर लेते हैं। परन्तु उसके साथ न्याय नहीं करते, उसके अनाथ होने का लाभ उठाते हैं, या उसके धन के लालच में विवाह कर लेते हैं। ऐसे लोगों से कहा गया है।

''यदि तुम्हें आशंका हो कि अनाथ लड़कियों से विवाह करके तुम न्याय न कर सकोगे तो दूसरी स्त्रियों में से जो तुम्हें अच्छी लगें उनसे विवाह कर लो''। (कुरआन, सूरा-४, अन-निसा, आयत-३)

अनाथ की दूसरी दशाः दूसरी दशा के अन्तर्गत ऐसे अनाथ आते हैं, जिनके पिता ने जीविका के लिए कुछ नहीं छोड़ा, तो ऐसे अनाथ बच्चों की देख-भाल करने का दायित्व पूरे समाज पर आता है। पवित्र कुरआन में इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश मौजूद हैं। एक बार सहाबा ने नबी स० से पूछा, हम फालतू माल कहां ख़र्च करें? इस पर यह आयत उतरी।

''वे पूछते हैं कि (फ़ालतू धन) किस प्रकार ख़र्च करें? कह दो कि जो माल भी तुम ख़र्च करो तो माता-पिता, अनाथों, निर्धनों तथा मुसाफ़िरों पर ख़र्च करो। और जो भलाई तुम करते हो अल्लाह उसे भली-भाँति जानता है''। (सूरा-२, अल-बक़रा, आयत-२१५)

सदाचारी लोगों के जो विशेष गुण बताए गए हैं,उनमें से एक यह है।

“वे मोहताज, अनाथ और क़ैदी को खाना उसकी चाहत रखते हुए खिलाते हैं”। (क़ुरआन, सूरा-७६, अद्-दह्र, आयत-८)

मक्का के उन इस्लाम-विरोधियों की निन्दा की गई है, जो क़ियामत के दिन को झुठलाते और अनाथों को धक्के देते हैं।

“यह वही है जो अनाथ को धक्के देता है। और निर्धन को खाना खिलाने का प्रलोभ नहीं देता”। (क़ुरआन, सूरा-१०७, अल माऊन, आयतें २-३)

नबी स० स्वयं अनाथ थे, परन्तु अल्लाह ने आप पर दया की। इसलिए आप स० को हुक्म दिया जा रहा है कि आप अनाथों के साथ अच्छा व्यवहार करें।

“तो जो अनाथ है उस पर कठोरता न करना और मांगने वाले को न झिड़कना” (क़ुरआन, सूरा-९३, अज़्-ज़ुहा, आयतें-९,१०)

इसलिए नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अनाथों और मांगने वालों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे और हर समय कोई न कोई अनाथ आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के घर में पलता रहता था। जहाँ तक माँगने वालों का मामला है तो अनस रज़ियल्लाहो तआला अन्हो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सेवक, का कथन है कि आप ने किसी मांगने वाले को कभी देने से मना नहीं किया। इसी प्रकार आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अनाथों की सेवा करने वाले को शुभ सूचना भी दी।

“मैं और अनाथ को पालने वाला जन्नत में इस प्रकार होंगे और यह कहते हुए आपने अपनी दो उंगलियों की ओर संकेत किया”। (सहीह बुखारी ६००५)

एक दूसरी हदीस में आया है।

“अनाथ की देख भाल करने वाला, चाहे वह उसका करीबी हो या किसी और का, वह और मैं जन्नत में इस प्रकार होंगे और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियों की ओर संकेत किया”। (सहीह मुस्लिम २९८३)

अर्थात वह अनाथ उसके परिवार का हो या किसी और परिवार का, उसका पालना पुण्य कर्मों में से है। एक हदीस में आता है कि एक व्यक्ति ने अपने कठोर दिल होने की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

“अनाथ के सर पर हाथ फेरो, और निर्धन को भोजन कराओ”। (मुस्नद अहमद ७५७६)

अर्थात किसी अनाथ को पाल लो। इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि अनाथ की मां से विवाह कर लो, ताकि वह अनाथ तुम्हारे साए में पल बढ़ सके। इससे तुम्हारा दिल नर्म पड़ जाएगा और उसकी कठोरता समाप्त हो जाएगी।

इस प्रकार इस्लाम ने अनाथ की समस्या के साथ, विधवा-समस्या का भी उत्तम हल पेश किया है।

अगर कोई यह सब न कर सके तो अनाथालय में पलने वाले बच्चों की सहायता करे। परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि पहले प्रबंधा-समिति के लोगों की अच्छी तरह से जांच कर ले और जब यह विश्वास हो जाए कि उनका उददेश्य अनाथों की सेवा है, व्यापार करना नहीं तो उनकी सहायता की जाए और यह भी एक प्रकार से अनाथ का पालन-पोषण करने के समान है।

❑ ❑ ❑

अहले हदीस मंज़िल की तामीर व तकमील के सिलसिले में

सम्माननीय अइम्मा, खुतबा, मस्जिदों के संरक्षकों और जमईआत के पदधारियों से पुरजोर अपील व अनुरोध

अहले हदीस मंज़िल में चौथी मंज़िल की ढलाई का काम हुआ चाहता है और अन्य तीनों मंज़िलों की सफाई की तकमील के लिये आप से अनुरोध है कि आने वाले जुमा में नियमित रूप से अपनी मस्जिदों में इसके सहयोग के लिये पुरज़ोर एलान फरमायें और नीचे दिये गये खाते में रकम भेज कर जन्नत में ऊंचा मक़ाम बनाएं और इस सद-क़्-ए जारिया में शरीक हों।

सहयोग के तरीक़े

(१) सीमेन्ट सरिया, रोड़ी, बदरपुर, रेत (२) नक़द रक़म (३) कारीगरों और मज़दूरों की मज़दूरी की अदायगी (४) खिड़की, दरवाज़ा, पेन्ट, रंग व रोगन का सामान या क़ीमत देकर सहयोग करें और माल व औलाद और नेक कार्यों में बर्कत पाएँ।

A/c Name : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c No. 629201058685

(ICIC Bank) Chandni Chowk, Delhi-110006

(RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292)

4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-6

Ph. 23273407, Fax : 23246613

अपील : सदस्यगण, मर्कज़ी जमीअत अलहे हदीस हिन्द